

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजखेडा

रामसेवक बनाम कमलेश

किस्म मुकदमा 905/19 नं. 23/19 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
31/7/19	<p>गार्पना पत्र इजराय इफर से बाद जॉन पेस हुआ। गार्पना पत्र इजराय शपिस्ट है। मुलाखत ईसी पासना डेल एडमीनस्ट्रेशन राजखेडा को परवाना जारी है कि इफरण में किसी अन्य न्यायालय का स्वगन आदेश न होये पासना पत्र दिनांक 29/8/19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। परवाना दिनांक 29/8/19 को पेश हो।</p>	
29/8/19	<p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> राजखेडा (धौसापुर)</p> <p>वकील गार्पे डाब्रि पासना रिपोर्ट के माध्यम से पासना पत्र दिनांक 30/7/19 को पेश हो।</p>	
30/9/19	<p>पत्रावली पेश हुई। जिले के द्वारा कार्य स्वगन/PO. का को राज्य कार्य में अस्त होने से जज को तारीख पेशी हो गई गत आदेश को ध्यान में पत्रावली दिनांक 31/10/19 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर सैडर</p>	
31/10/19	<p>परवाना पत्र हुआ वकील गार्पे. डाब्रि उनके द्वारा अवगत कराया कि इफरण में इजराय को पासना डेल अफो डेल एडमि. अब इफरण में कोई कार्यवाही हो न देने के कारण कार्यवाही इसी एज पर ट्राय की जाती है। परवाना पत्रावली शुमार डेफर बाद त्वरीत डाब्रि इफर डेल इफरण सजाया गया।</p>	<p>परवाना हो चुका है।</p> <p>(पंक्ज)</p>